

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1245/2012/ श्रीगंगानगर
2. अपील संख्या - 1246/2012/ श्रीगंगानगर
3. अपील संख्या - 1247/2012/ श्रीगंगानगर
4. अपील संख्या - 1248/2012/ श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर (राज.)

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स अरिहन्त रबड़ इण्डस्ट्रीज  
श्रीगंगानगर (राज.)

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य  
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर. के. अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी  
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08.09.2016

निर्णय

1. उपर्युक्त सभी चारों अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 58 एवं 61(1) के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रकरणों में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 08.02.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपील निर्णयों में अपास्त की गई मांग राशि, जिनके विरुद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिन्हें आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा ये अपीलें पेश की गई हैं उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	वर्ष	विवादित राशि
1245/12	355/RVAT/10-11	30.11.10	06-07	1,52,004
1246/12	353/RVAT/10-11	30.11.10	07-08	1,11,354
1247/12	350/RVAT/10-11	30.11.10	08-09	1,51,307
1248/12	351/RVAT/10-11	30.11.10	09-10	1,86,577

2. इन सभी अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही हैं।


3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट तृतीय, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 02.02.2010 को सर्वेक्षण किया गया जांच में यह पाया गया कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण में प्रस्तुत साईकिल

*Amrithan*  
08/09/16

*Handwritten Signature* लगातार.....2

की प्रविष्टि संख्या-20 में साईकिल एवं उसकी एसेसरीज 4/5 प्रतिशत की दर से अंकित है जिसमें इस प्रकरण से संबंधित माल रबड़ शीट या रबड़ पेचेज उल्लेखित नहीं है। उन्होंने यह भी अवधारित किया की व्यवसायी द्वारा निर्मित एवं बिक्रीत माल KUSUMAN एवं HERO ब्राण्ड के रेपर पर चित्रित एवं लिखित विवरण जिसमें साईकिल, स्कूटर, कार, ट्रक चित्रित है एवं अन्य विवरण जिसमें दमदार क्वालिटी आर, यूज वी.सी.आर.डी. 01-100, कोल्ड पेच, एमआरपी, नोट हिटिंग, क्विक फिटिंग एक्स्ट्रा पावर फुल, 100 सुपर डुपर, का विवरण दर्ज है तथा टायर पंचर से संबंधित कुछ व्यक्तियों के बयान लिये गये जिसके आधार पर उक्त रबड़ पेचेज साईकिल के साथ-साथ अन्य वाहनों में प्रयुक्त होना प्रमाणित किया है। इस आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया है कि व्यवसायी द्वारा बिक्रीत रबड़ पेचेज शीट्स का उल्लेख किसी भी वैट दर अनुसूची में नहीं होने के कारण उक्त माल अनुसूची-V में करयोग्य है। इसके आधार पर चार्ट में वर्णित अतिरिक्त कर एवं अधिनियम की धारा 61(1) में शास्ति एवं अधिनियम की धारा 55 में ब्याज विधि अनुसार आरोपित किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों का अवलोकन किये बिना ही आरोपित राशि को अपास्त किया है जो विधिनुकूल नहीं होने से अपास्तनीय है। उक्त आधार पर उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का अनुरोध किया।

7. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड (डीबी) के मैसर्स यूनीपेच रबड़ लि. बनाम अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (2002)13/एसटीटी -आरटीबी-डीबी का उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया गया कि उनके द्वारा साईकिल पेचेज का ही निर्माण एवं विक्रय किया गया तथा माननीय कर बोर्ड द्वारा साईकिल पेचेज को साईकिल का पार्ट्स नहीं मानते हुए उसकी सहायक एवं उपयोगी सामग्री माना है क्योंकि उनके अनुसार साईकिल पंचर होने के पश्चात साईकिल प्रयोग होने योग्य नहीं रहती है अतः एक साईकिल हेतु साईकिल पंचर एक उपयोगी एवं सहायक वस्तु होने से वह साईकिल एसेसरीज की श्रेणी में मानी गयी। इसी प्रकार मैसर्स श्याम ट्रेडर्स बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, कोटा (2003) 16/एसटीटी 64 में भी साईकिल पेचेज को साईकिल की एसेसरी माना गया न कि रबड़ की वस्तु। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-डी, जयपुर बनाम मैसर्स ट्रिन्डेन्ट टेक्नोलोजी जयपुर 7/टेक्स अपडेट 218 (आरटीबी) के निर्णय को भी उद्धरित किया है जिसमें माननीय कर बोर्ड के निर्णय की पालना किये जाने को बाध्यकारी बताया गया है।


  
08/09/16




8. प्रत्यर्थी द्वारा अपनी ओर से की गयी बिक्री, उससे संबंधित शपथ पत्र एवं तृतीय पार्टी साक्ष्य के संबंध में अपना पक्ष रखा। प्रत्यर्थी द्वारा अपनी समस्त बिक्री मैसर्स परनामी सेल्स कॉरपोरेशन एवं मैसर्स जैन रबड़ एण्ड प्लास्टिक इण्ड., श्रीगंगानगर को किया जाना बताया गया एवं उक्त फर्मो के मालिक/पार्टनर द्वारा दिये गये शपथ पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की गयी जिनको सशक्त अधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था। उक्त शपथ पत्र में साईकिल पेचेज का विक्रय ही किया जाना दर्शाया है एवं जिसका प्रयोग अन्य रूप में नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी द्वारा आगे तर्क दिया गया कि मैसर्स बलदेव टायर वर्क्स, श्रीगंगानगर के मालिक श्री बलदेवसिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को जांच अधिकारी द्वारा उसके पुत्र के बयान लेकर असत्य साबित करने का प्रयास किया गया जबकि उक्त बयान बिना शपथ पत्र के दिये गये थे जो कि स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार जांच अधिकारी द्वारा श्री नारायण राम का दिनांक 28.01.2010 को बयान लिया गया जिसमें उसके द्वारा कुसुमन ब्राण्ड का प्रयोग किया जाना दर्शाया गया किन्तु जिसको खरीदने का स्ट्रोत नहीं बताया गया। अतः बयानों का प्रत्यर्थी के हमारे विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता। उक्त बयान भी शपथ पूर्वक नहीं लिये गये हैं अतः इन बयानों की कानूनी वैधता नहीं है इसके संबंध में प्रत्यर्थी की ओर से माननीय न्यायालयों द्वारा निर्णित निम्न प्रकरणों को उद्धरित किया गया :-

- 1- M/s Kerala Glue Factory Vs Sales Tax Tribunal (1987)66 STC292 (SC) CTO V Rajasthan Alluminium India (1986) RTC 64 (RHC)
- 2- State of Kerala Vs K.T. Shaduly Yusuf (1977)39 STC 478 (SC)
- 3- M/s Kerala Glue Factory Vs Sales Tax Tribunal (1987)66 STC 292(SC)
- 4- CTO Vs Rajasthan Alluminium India (1986) RTC 64 (RHC)
- 5- Mehta Parikh & Co. Vs CIT 30 ITR 181 (SC)
- 6- Smt. Gunwantibai Rati Lal Vs CIT (146 ITR) 140 (M.P. High Court)
- 7- Bardaram B. Mali Vs ITO 125 TTJ (Mum.) 619

9. उपरोक्त उद्धरित न्यायिक निर्णयों के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि किसी भी व्यवसायी के विरुद्ध एकत्रित किये गये सबूतों के आधार पर एकतरफा रूप से करारोपण नहीं किया जा सकता क्योंकि माननीय न्यायालयों ने यह अवधारित किया है कि इस संबंध में प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जाना अति आवश्यक है। इसी प्रकार यह भी अवधारित किया गया कि प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में दिये गये तथ्यों को बिना किसी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी ने आगे तर्क दिया कि वे 1995 से इसी प्रकार के साईकिल पेचेज का कारोबार कर रहे हैं जिसको कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है एवं जिसके संबंध में शपथ पत्र द्वारा भी यह उल्लेख किया गया है कि व्यवसायी साईकिल पेचेज का विक्रेता ही है। उक्त माल के क्रेता फर्म द्वारा भी दिये गये शपथ पत्र से भी यह साबित होता है कि उनके द्वारा क्रय किया जाने वाला माल साईकिल पेचेज/रबड़शीट ही है।

  
08/09/16



लगातार.....5

10. प्रत्यर्थी ने आगे तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों में यह स्वीकार किया गया है कि जिस पर कानून में दो तरह के निर्वचन प्रकट होते हैं वहां पर करदाता/व्यवहारी के पक्ष में होने वाले निर्वचन को ही माना जावेगा। इसके संबंध में निम्न निर्णयों को उद्धरित किया गया :-

- 1- Polister Electronic Pvt.Ltd. Vs Additional Commissioner, Com.Taxes and other 41 STC 409(SC)
- 2- Commissioner, Trade Tax, U.P. Vs S.S. Ayoudhya Dist. and other 19VST 251 (SC)
- 3- Mahim Patram Pvt. Ltd. Vs Union Bank of India and other 6 VST 248(SC)
- 4- Tata Sponj Iron Ltd. Vs State of Orrisa and other 06VST461 (OHC)
- 5- Carben Crafts Pvt. Ltd. Vs U.P. and other 05 VST 197 (AIL.HC)
- 6- S.Reghurama Reddy Vs CCT 2004 (134) STC 598
- 7- Erikson India Pvt Ltd. CTO A/E Circle & 1, Jaipur 11 Tax Update 69 (RTB)

11. इसके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि व्यवसायी द्वारा विक्रय किया जाने वाला माल साईकिल पेचेज नहीं होकर मोटर साईकिल अथवा कार पेचेज है जिसको साबित करने का दायित्व विभाग पर है जिसके संबंध में निम्न निर्णयों को उद्धरित किया :-

- (i) Comm. of Central Excise Vs Sharma Chemical Works 132 STC 251
- (ii) Hindusthan Food Ltd. Vs Collector of Central Excise (1997) 106 STC 214(SC)
- (iii) M/s Indexport Ltd. and Another Vs State of Bihar and Other 143 STC 56
- (iv) The State of Rajasthan and Another Vs Dyes Medical Stores Ltd. Jaipur and Another 19 Tax Update 97
- (v) Rameshwar Prasad Chetnya Kumar Vs CTO A/E (2005)34 T.W
- (vi) Travancor Rubber & Tube Co. (1967) 20 STC 520(SC)
- (vii) Polister Electronics (P) Ltd. (1978)41 STC 409(SC)
- (viii) AC Jaipur Vs Merico Industries Ltd. (2006) 6VAT reporter 64(RHC)

12. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि मैसर्स यूनीपैच रबड़ लिमिटेड द्वारा उत्पादित साईकिल पेचेज में निश्चित मोटाई (Thickness) का ही निर्माण किया जाता है जिसके लिए माननीय कर बोर्ड ने अपने निर्णय में साईकिल पेचेज को साईकिल पार्ट्स की एसेसरी माना है। तर्क दिया है कि

*Amrinder Singh*  
08/09/16


लगातार.....6


उनके द्वारा उत्पादित साईकिल पेचेज की मोटाई (Thickness) यूनीपेच रबड़ लिमिटेड द्वारा उत्पादित पेचेज से भी कम है क्योंकि प्रार्थी का माल हल्की क्वालिटी का है। यूनीपेच द्वारा उत्पादित मोटर साईकिल पेचेज की मोटाई और भी अधिक है। इसके आधार पर तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा उत्पादित कम मोटाई के साईकिल पेचेज को प्रयोग मोटर साईकिल में नहीं किया जा सकता किन्तु माननीय वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन द्वारा उनकी अनुपस्थिति में उनके माल को मोटर साईकिल में प्रयुक्त होना साबित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 20 में साईकिल पेचेज अंकित नहीं होने के कारण सम्मिलित नहीं माना गया जबकि माननीय कर बोर्ड द्वारा यूनीपेच रबड़ लिमिटेड के निर्णय में साईकिल पेच को साईकिल एसेसरी में कवर होना मानते हुए अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 20 में सम्मिलित माना है। आगे तर्क दिया कि सशक्त अधिकारी द्वारा विज्ञापन में दिये गये शब्दों के आधार पर नया मोड़ देने का प्रयास किया गया जबकि विज्ञापन में तथ्यों से परे जाकर अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर तथ्यों को उजागर किया गया है एवं केवल इस आधार पर विक्रय किये गये माल साईकिल पेचेज नहीं होना साबित नहीं हो सकता जबकि प्रत्यर्थी द्वारा केवल साईकिल पेचेज का ही विक्रय किया गया है, जो साईकिल की असेसरीज होने से अनुसूची IV की प्रविष्टि 20 से आच्छादित है एवं तदनुरूप 4/5 प्रतिशत से कर देय है।

13. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया गया कि उनके विरुद्ध धारा 61(1) में शास्ति आरोपित की गयी है जबकि उनके द्वारा समस्त बिक्री को अपनी रिटर्न में एवं बहियात में अंकित किया है। अतः इस आधार पर छुपायी गयी बिक्री साबित नहीं करने के कारण धारा 61 में शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों को उद्धरित किया गया है जो निम्न प्रकार है :-

- 1- ACTO A/E Jaipur Vs Kasta PVC Pipe and Fitting (2010) 43 T.W.64
- 2- CTO A/E Udaipur Vs M/s LNT Case Equipment Ltd. Udaipur (29.03.2010 RHC)  
Mahim Patram Pvt. Ltd. Vs Union Bank of India and other 6 VST 248(SC)
3. (2009) 25 टेक्स अपडेट 189 (करबोर्ड)
4. COT Bikaner V/s Nokha Industries, Nokha (2002) 1 RTR 416 (RTB)

उपरोक्त निर्णयों में दी गई व्यवस्था के अनुसार जब वस्तु की कर दर विवादित होने पर यह नहीं माना जा सकता है कि व्यवहारी ने दुराश्य से

  
08/09/16

 लगातार.....7

करवंचना की है। अतः शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है वह विधिनुकूल है। उपरोक्त आधारों पर विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

14. हमने उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। सशक्त अधिकारी ने उत्पादित माल को रबड़शीट (पेचेज) माना है जो कि अधिनियम के अन्तर्गत जारी किसी भी अनुसूची में वर्णित नहीं होने एवं जिसका प्रयोग साईकिल के अलावा अन्य वाहनों में होने के कारण सामान्य प्रयोग की वस्तु होना मानते हुए अधिनियम की अनुसूची-V के अन्तर्गत सामान्य कर दर 12.5 प्रतिशत अथवा 14 प्रतिशत से कर योग्य वस्तु माना है एवं इस कारण इसे साईकिल टायर की असेसरी नहीं माना है। इस सम्बन्ध में जांचकर्ता अधिकारी ने पिन, बोल्ट, लिवर्स, प्लेट्स, फ्लेप, स्प्रिंग से सम्बन्धित माननीय न्यायालयों के निर्णयों को अपने आदेश में उद्धरित करते हुए प्रत्यर्थी के उत्पाद को भी सामान्य प्रयोग की वस्तु मानते हुए केवल साईकिल पार्ट्स की असेसरी नहीं माना है। किन्तु प्रत्यर्थी ने तर्क दिया है कि उसके द्वारा उत्पादित एवं बिक्रीत वस्तु साईकिल पेचेज है एवं माननीय कर बोर्ड ने मैसर्स यूनीपेच रबड़ लि० बनाम अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, (13 STT-RTB-DB) के प्रकरण में साईकिल पेचेज को साईकिल असेसरी माना है। अतः उनका उत्पाद साईकिल पेचेज होने से साईकिल की असेसरी ही है, जिस पर कर देयता अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 20 के अनुसार 4/5 प्रतिशत की है न कि अवशिष्ट अनुसूची-V के अनुसार 12.5/14 प्रतिशत की दर से है।


15. सशक्त अधिकारी ने साईकिल पंचर ठीक करने वाले कुछ दुकानदारों यथा श्री नारायण राम श्रीगंगानगर, मैसर्स बलदेव टायर्स श्रीगंगानगर के श्री अजीत सिंह एवं जीवन साईकिल वर्क्स के मालिक श्री जीवन राम के बयान लेकर यह साबित करने का प्रयास किया है कि प्रत्यर्थी के उत्पाद कुसुमैन, राजा व हीरों ब्राण्ड टायर पेचेज केवल साईकिल के काम ही नहीं आते हैं अपितु मोटर साईकिल एवं अन्य दुपहिया वाहनों में भी प्रयुक्त होता है। इस संबंध में सक्षम अधिकारी ने प्रत्यर्थी के उत्पाद के विज्ञापन को भी आधार बनाया है जिसमें साईकिल, स्कूटर, कार, ट्रक के चित्र अंकित होना दर्शाया है। जहां तक उपरोक्त वर्णित तीन पंचर सम्बन्धी व्यवसायी के मालिकों के बयान का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त महत्वपूर्ण है कि किसी व्यवसायी के विरुद्ध एकत्रित सबूत एवं प्रमाण तब तक मान्य नहीं हो सकते जब तक उनके संबंध में गवाहों का व्यवसायी के समक्ष प्रतिपरिक्षण (Cross objection) नहीं करवाया जावे एवं केवल एक तरफा आधार पर लिये गये बयान कर अपवंचन को प्रमाणित नहीं कर सकते। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के मैसर्स केरला ग्लू फैक्ट्री बनाम सैल्स टैक्स ट्रिब्यूनल, सी.टी.ओ. बनाम राजस्थान एल्युमिनियम (इण्डिया) (1986) आर.टी.सी.-64 के माननीय

*Amr...*  
08/09/16

लगातार.....8

राजस्थान उच्च न्यायालयों के निर्णयों में भी प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णय दिया गया है कि तृतीय पक्ष से एकत्रित सबूत से एक तरफा आधार पर बिना प्रतिपरीक्षण किये कार्यवाही अविधिक है। सशक्त अधिकारी के द्वारा बयान के आधार पर एकत्रित सबूतों के विपरीत प्रत्यर्थी के द्वारा भी स्वयं एवं क्रेता फर्मों के मालिकों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं एवं इसके अतिरिक्त कई साईकिल पंचर के व्यवसायियों के बयान भी सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिनकी फोटो प्रतियां अपील के समय भी प्रस्तुत की गई हैं जिन्हें न तो सशक्त अधिकारी ने असत्य साबित किया है एवं नहीं ही उन्हें स्वीकार किया है। अतः इस आधार पर प्रत्यर्थी के इस कथन की सार्थकता प्रमाणित होती है कि उनके द्वारा उत्पादित माल केवल साईकिल पेचेज ही है एवं साईकिल पेचेज का ही विक्रय किया है एवं टर्नओवर भी इसी वस्तु की घोषित किया गया है। सशक्त अधिकारी का यह मानना कि उनका माल साईकिल पेचेज न होकर मोटर साईकिल अथवा अन्य वाहनों के पेचेज हैं इसे प्रमाणित करने का दायित्व विभाग है, प्रत्यर्थी का नहीं एवं विभाग ने यह साबित नहीं किया कि उनका उत्पाद साईकिल पेचेज नहीं है केवल यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया कि उनका उत्पाद साईकिल के साथ अन्य वाहनों में भी प्रयोग होता है। इस संबंध में प्रत्यर्थी का तर्क मानने योग्य है कि वे 1995 से साईकिल पेचेज में ही व्यवसाय करते रहे हैं एवं कर निर्धारण अधिकारियों ने भी इन्हें साईकिल पेचेज मानकर ही करारोपण किया है एवं आज भी इस उत्पाद को साईकिल पेचेज के रूप में ही विक्रय करते हुए वेट बीजक जारी करते हैं फिर अचानक एकतरफा आधार पर कतिपय व्यवहारियों के बयान लेकर एवं विज्ञापन के चित्रों को आधार बनाकर उसे रबड़ पेचेज मानकर सामान्य दर से करारोपण नहीं किया जा सकता।

16. प्रत्यर्थी ने सशक्त अधिकारी को सुनवाई के समय नमूने के रूप में अपने द्वारा निर्मित साईकिल पेचेज एवं मैसर्स यूनीपेच रबड़ के साईकिल पेचेज "ओमनी ब्राण्ड" के नमूने भौतिक रूप से प्रस्तुत किए हैं जो मूल आदेश पत्रावली में संलग्न पाये गये। इस नमूने के आधार पर प्रत्यर्थी ने यह साबित करने का प्रयास किया कि "ओमनी ब्राण्ड" के साईकिल पेचेज की मोटाई (Thickness) अधिक है जबकि उनके उत्पाद की मोटाई (Thickness) कम है एवं इसका कारण उनका माल हल्की क्वालिटी (Inferior Quality) का होना है एवं उनकी कीमत भी "ओमनी ब्राण्ड" जो यूनीपेच रबड़ इण्ड. के प्रोडक्ट हैं, से आधी है जबकि माननीय राजस्थान कर बोर्ड (डीबी) ने यूनीपेच रबड़ के पेचेज को साईकिल की असेसरीज ही माना है एवं जबकि उनके साईकिल पेचेज उससे भी निम्न स्तर के बताये गये हैं अतः उन्हें किस आधार पर साईकिल असेसरीज नहीं माना जा सकता, इसका खुलासा नहीं किया गया है।

  
08/09/16

→

लगातार.....9


17. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा उत्पादित माल साईकिल पेचेज ही है एवं माननीय करबोर्ड ने मैसर्स यूनीपेच रबड़ लि. के प्रकरण में साईकिल पेचेज को साईकिल असेसरीज के रूप में ही माना है। अतः प्रत्यर्थी का प्रोडक्ट भी साईकिल असेसरीज की श्रेणी में ही माना जाना उचित है एवं इस आधार पर यह अनुसूची-IV की प्रविष्टि क्रमांक 20 के अन्तर्गत 4/5 प्रतिशत से करदेयता की श्रेणी में आता है। चूंकि माननीय करबोर्ड के इस निर्णय के विपरीत अन्य कोई उच्चतर न्यायालयों का निर्णय नहीं हुआ है। अतएव उक्त निर्णय से भिन्न मत रखने का इस खण्डपीठ के समक्ष कोई आधार नहीं है। उक्त प्रकरण वस्तु के निर्वचन के मामले में माननीय कर बोर्ड के मैसर्स यूनीपेच रबड़ इण्ड. लि. बनाम अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर के तथ्यों से मेल खाता है, अतः इस आधार पर प्रत्यर्थी के उत्पादित साईकिल पेचेज को साईकिल असेसरीज ही माना जाना विधियुक्त है एवं इस आधार पर करदेयता सामान्य कर दर से न होकर अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 20 के अनुसार 4/5 प्रतिशत ही अवधारित की जाती है। अतः माननीय कर बोर्ड द्वारा सुस्थापित अवधारणा से विपरीत अवधारणा बनाये जाने का कोई कारण नहीं है।


18. उपरोक्त के अलावा बहस के दौरान व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधिनियम के अनुसूची IV(B) की प्रविष्टि संख्या 162, 163 व 164 का हवाला दिया। जिसके अनुसार रबड़ की प्लेट्स, शीट्स व स्ट्रीप्स 4/5 प्रतिशत की दर से ही कर देय है, सशक्त अधिकारी ने बिक्रीत माल रबड़ शीट्स की बिक्री को ही विवादित किया गया है। चूंकि रबड़ शीट्स अनुसूची IV(B) प्रविष्टि संख्या 162, 163 व 164 में अंकित है अतः उक्त प्रविष्टियों के आधार पर भी इस पर 4/5 प्रतिशत से ही कर देयता होगी। तदनुरूप अपीलीय अधिकारी ने आरोपित अन्तर कर व ब्याज राशि को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

19. जहां तक करापवचन के आरोप में धारा 61 के अन्तर्गत छुपाये गये कर की दोगुनी शास्ति का प्रश्न है, व्यवहारी प्रत्यर्थी के खिलाफ करवचना का प्रकरण सिद्ध नहीं हुआ है अतः शास्ति आरोपण का प्रश्न ही नहीं उठता है तदनुरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति राशि को अपास्त किये जाने की पुष्टि की जाती है।

20. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया।

  
(राजीव चौधरी)  
सदस्य

  
(मदन लाल)  
सदस्य